

प्रश्न सं. [क. 2839]

मध्यप्रदेश शासन

चिकित्सा शिक्षा विभाग

मंत्रालय

// आदेश //

विद्यमान सं. 2839 अर्थात्
उपनाम सं. - "अ" परिशिष्ट "व" पैरा-2
अनुक्रम सं. - 24/03/2025

भोपाल दिनांक /07/2023

क्रमांक: एफ 2/1/6/0006/2023/55-2, राज्य शासन एतद् द्वारा खरगौन, धार, भिण्ड, बालाघाट, टीकमगढ़ तथा सीधी जिलों में 100 एम.बी.बी.एस सीट प्रवेश क्षमता के नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना किए जाने की सैद्धांतिक सहमति प्रदान की जाती है।

2/- यह स्वीकृति मंत्रि-परिषद के आदेश दिनांक 28.06.2023 द्वारा दी गई सहमति के अनुक्रम में जारी की जाती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार,

(बबीता वसुनिया)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

चिकित्सा शिक्षा विभाग

भोपाल, दिनांक 5/07/2023

पृ.कं० 860/एफ 2/1/6/0006/2023/55-2,

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, मुख्यमंत्री कार्यालय, म.प्र. भोपाल।
2. विशेष सहायक, माननीय मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, म.प्र. भोपाल।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव, कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
4. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
5. निज सचिव, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
6. निज सचिव, अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय।
7. निज सचिव, उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय।

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. संभागायुक्त, संभाग, इन्दौर, चंबल, जबलपुर, रीवा, सागर मध्यप्रदेश।
3. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. कलेक्टर, जिला खरगौन, टीकमगढ़, धार, भिण्ड, बालाघाट, सीधी मध्यप्रदेश।
5. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, सतपुडा भवन, भोपाल।
6. अपर संचालक (वित्त), संचालनालय चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश भोपाल।
7. अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सागर, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अप्रेषित।
8. गार्ड फाईल।

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

चिकित्सा शिक्षा विभाग



MCT
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग

05.07.2023
अवर सचिव

(L)

विधानसभा प्र. 2839 अ. 2
उत्तर प्रदेश - "अ" परिशिष्ट - 5
उत्तर प्रदेश विधान सभा अ. 2839 अ. 2
सदर में उत्तर देने का क्र. - 24/03/2025

मध्यप्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग
मंत्रालय

--:आदेश:--

भोपाल, दिनांक 25/08/2023

क्रमांक: ¹⁰⁹⁸ एफ 2/1/6/0006/2023/55-2, मंत्रि-परिषद के अनुमोदन उपरांत इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 05.07.2023 द्वारा खरगौन, धार, भिण्ड, बालाघाट, टीकमगढ़ एवं सीधी के नवीन शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना हेतु सैद्धांतिक सहमति जारी की गई है। राज्य शासन ने इन चिकित्सा महाविद्यालयों का निर्माण मध्यप्रदेश बिल्डिंग डेवलपमेंट कार्पोरेशन के माध्यम से कराने का निर्णय लिया है।

2/ मध्यप्रदेश बिल्डिंग डेवलपमेंट कार्पोरेशन ने जिला कलेक्टरों के सहयोग से भूमि चिन्हित कर प्रथम चरण में उनके बाउण्ड्रीवॉल निर्माण के प्राक्कलन विभाग को भेजे हैं। चिकित्सा महाविद्यालयों के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाने की कार्यवाही मध्यप्रदेश बिल्डिंग डेवलपमेंट कार्पोरेशन द्वारा की जा रही है।

3/ राज्य शासन एतद् द्वारा इन चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना हेतु प्रथम चरण की बाउण्ड्रीवॉल निर्माण के लिए खरगोन राशि रूपये 378.08 लाख, धार राशि रूपये 296.95 लाख, भिण्ड राशि रूपये 296.95 लाख, बालाघाट राशि रूपये 311.58 लाख, टीकमगढ़ राशि रूपये 296.95 लाख एवं सीधी 400.18 लाख कुल राशि रूपये 1980.69 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4/ यह स्वीकृति दिनांक 23.08.2023 को लिए गये प्रशासकीय अनुमोदन के अनुक्रम में जारी की गई है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(बबीता वसुनियां)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

चिकित्सा शिक्षा विभाग

निरन्तर.....

जो.प्र.

A.D.F.

V.V.

29/8.

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग

फ.


104

2

1029/
पृ. क्र. एफ 2/1/6/0006/2023/55-2
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 25/08/2023

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र. भोपाल।
 2. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
 3. निज सचिव, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
 4. निज सचिव, अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय।
 5. निज सचिव, उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय।
-
1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
 2. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
 3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, भोपाल।
 4. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर उनकी टीप क्रमांक 941/2/योवि/डीएमई/23 दिनांक 08.08.2023 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
 5. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश भवन विकास निगम, उद्यमिता विकास केन्द्र, अरेरा हिल्स, भोपाल।
 6. संभागीय आयुक्त एवं अध्यक्ष स्वशासी समिति चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, एवं रीवा, मध्यप्रदेश।
 7. अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, एवं रीवा, मध्यप्रदेश।
 8. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा एवं सागर, मध्यप्रदेश। की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
 9. कलेक्टर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा एवं सागर, म.प्र.


25.8.2023
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग



D.P.
/0

वेभाग
निरन्तर


अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग